(निर्मलजीत कौर, जे.)

निर्मलजीत कौर जे**. के सन्मुख**

संजीव कुमार-याचिकाकर्ता

बनाम

श्री दिगंबर जैन पंचायत मन्दिर-उत्तरदाता

सीआर **No.9129 आफ 2017**

04 सितंबर, 2019

सिविल प्रक्रिया संहिता**, 1908-**ओ**. 13,** आर**.** एल**. 3-**दस्तावेजों की ग्राह्यता के संबंध में आपत्तियाँ**-**चाहे दस्तावेज़ की ग्राह्यता के संबंध में आपत्ति को समर्थन से पहले तय किया जाना आवश्यक हो या बाद के चरण में भी तय किया जा सकता है**,** आदेश **13** नियम **3** सी**.** पी**.** सी**.** का उल्लेख करना उचित होगा-आयोजित**,** आपत्ति का निर्णय सामान्य रूप से वहां किया जाना चाहिए और फिर ऐसा करने में विफलता**,** और अंतिम चरण में निर्णय लेने के निर्णय को केवल आपत्ति की ग्राह्यता के संबंध में होने के कारण अलग नहीं किया जा सकता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि, आपत्ति का निर्णय सामान्य रूप से वहां और फिर किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करने में विफलता और अंतिम चरण में निर्णय लेने के निर्णय को केवल उपरोक्त निर्णयों द्वारा और आदेश 13 नियम 3 सी. पी. सी. को ध्यान में रखते हुए इसकी स्वीकार्यता के संबंध में होने के कारण दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 14)

नितिन जैन, अधिवक्ता,

याचिकाकर्ता के लिए।

विवेक श्योराण,अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से

निर्मलजीत कौर**, J.oral**

(1) वर्तमान पुनरीक्षण याचिका किराया नियंत्रक द्वारा पारित दिनांक 20.11.2017 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके अनुसार, दस्तावेजों की स्वीकार्यता के संबंध में आपत्ति के निर्णय की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के आवेदन दिनांक 20.11.2017 को खारिज कर दिया गया था।

(2) प्रतिवादी ने जहाजपुल, मिल रोड, हिसार में स्थित दुकान संख्या 7 से याचिकाकर्ता के कब्जे की मांग करते हुए बेदखली याचिका दायर की है, इस आधार पर कि प्रतिवादी को अपने स्वयं के उपयोग और कब्जे के लिए ध्वस्त परिसर की आवश्यकता है।उक्त बेदखली याचिका में यह दलील दी गई थी कि ध्वस्त परिसर का किराया 2,125/- रुपये प्रति महीना है।

याचिकाकर्ता ने अपना लिखित बयान /जवाब दावा दायर किया, जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ अनुरोध किया कि प्रतिवादी केवल किराया बढ़ाने में रुचि रखता है और याचिकाकर्ता के कब्जे वाली दुकान को खाली करने की मांग करने वाली वर्तमान याचिका केवल याचिकाकर्ता पर किराया बढ़ाने के लिए दबाव बनाने के लिए है।

(3) किराया नियंत्रक ने दिनांकित 22.5.2017 आदेश के माध्यम से मुद्दे तैयार किए और वादी के गवाहों के लिए 7.7.2017 के लिए मामला तय किया गया।एस. बृज भूषण ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी के प्रबंधक ने पीडब्लू-1 के रूप में गवाह बॉक्स में कदम रखा और 2.11.2017 पर अपनी जांच के दौरान, उन्होंने को सबूत Ex.P1 से पी-4 प्रस्तुत किया।उक्त गवाह से जिरह के लिए मामले को 15.11.2017 तक टाल दिया गया था।15.11.2017 को , याचिकाकर्ता ने पीडब्लू-1 बृज भूषण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों Ex.P-1 से पी-4 की स्वीकार्यता के संबंध में अपनी आपत्ति पर निर्णय लेने के लिए एक आवेदन दायर किया।आवेदन में कहा गया था कि उक्त दस्तावेज स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि बृज भूषण न तो लेखक हैं और न ही इन दस्तावेजों को उनके समक्ष निष्पादित किया गया था।15.11.2017 दिनांकित आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।चूंकि, दिनांक 15.11.2017 के आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.11.2017 का एक और आवेदन दायर किया जिसमें किराया नियंत्रक से पीडब्लू-1 की प्रतिपरीक्षा दर्ज करने से पहले आपत्ति पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था। उक्त आवेदन में, विभिन्न निर्णयों पर निर्भरता रखी गई थी, जिसके अनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आपत्ति का निर्णय तब किया जाना है जब उसे लिया जाता है और अंतिम तर्क के चरण में इसे लंबित नहीं रखा जाना चाहिए।हालाँकि, उक्त आवेदन को इस टिप्पणी के साथ निपटाया गया कि अंतिम सुनवाई के समय इसका निर्णय लिया जाएगा।

(4) दिनांकित 20.11.2017 आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के आवेदन को किराया नियंत्रक द्वारा विपरीत पक्ष को नोटिस जारी किए बिना या उसके जवाब के लिए बुलाए बिना दिनांकित 20.11.2017 विवादित आदेश पारित करके खारिज कर दिया गया था।दूसरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले बिपिन शांतिलाल पांचाल बनाम गुजरात राज्य और अन्य [1] पर भरोसा करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया गया है। यह महसूस किए बिना कि उक्त निर्णय एक आपराधिक मामले से संबंधित है, जहां प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा शासित होती है। तीसरा, हाथ में यह मुद्दा कि आपत्ति पर निर्णय उस समय लिया जाना है जब वह उठाया जाता है और इसे अंतिम निर्णय तक स्थगित नहीं किया जा सकता है, अब समग्र नहीं है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के दायरे में आता है।

---

[1] (2001) 3 एस. सी. सी. 1

(निर्मलजीत कौर, जे.)

आर. वी. ई. वेंटकचला गौंडर बनाम अरुलमिगु विश्वेसारस्वामी और वी. पी. मंदिर [2] का मामला, इसलिए, यह तर्क दिया गया कि किराया नियंत्रक दिनांकित 15.11.2017 के पहले आवेदन पर तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के लिए बाध्य था और दिनांकित 20.11.2017 के आवेदन को खारिज करते हुए लागत का अधिरोपण भी मनमाना था।

(5) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने पुनरीक्षण याचिका का जोरदार विरोध करते हुए और विवादित आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि आदेश 13 नियम 3 सी. पी. सी. के अनुसार, न्यायालय किसी भी स्तर पर ऐसे दस्तावेज़ को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र था जो अस्वीकार्य है, और समर्थन या उक्त दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले उसी पर निर्णय लेना अनिवार्य नहीं था।

(6) पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना गया।

(7) आर. वी. ई. वेंतकचला गौंडर (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय और जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया था, वास्तव में ऐसी स्थिति में था जहां आपत्ति बिल्कुल भी नहीं उठाई गई थी और उसमें याचिकाकर्ता ने बाद के चरण में आपत्ति उठाने का विकल्प चुना था।इसलिए, उन परिस्थितियों में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि आपत्ति इसकी स्वीकार्यता से संबंधित है, तो इसे किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है, और यदि वही तरीका और प्रक्रिया थी, तो इसे उस समय उठाया जाना आवश्यक था जब दस्तावेज़ को साक्ष्य में पेश किया गया था।इसलिए, उस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, पैरा 19 में अभिनिर्धारित करते हुए, गवाहों द्वारा एगजिबिट दस्तावेज़ की स्वीकार्यता पर एक पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्ति को उठाने के चरण के रूप में प्रमुख महत्व के प्रश्न का उत्तर दिया:-

> "प्रतिवादी के विद्वान वकील ने रोमन कैथोलिक मिशन बनाम मद्रास राज्य ए. एन. आर. ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1457 पर भरोसा किया है। ने उनके इस निवेदन के समर्थन में कहा कि एक दस्तावेज जो साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है, हालांकि रिकॉर्ड में लाया गया है, उसे विचार से बाहर रखा जाना चाहिए।उपरोक्त मामले में इस प्रकार निर्धारित कानून के प्रस्ताव के साथ हमारा कोई विवाद नहीं है।हालाँकि, वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है जिसमें कानून की सही स्थिति को सटीक बनाने की आवश्यकता है।आम तौर पर साक्ष्य की स्वीकार्यता पर आपत्ति तब ली जानी चाहिए जब इसे प्रस्तुत किया जाता है और बाद में नहीं।साक्ष्य में दस्तावेजों की स्वीकार्यता के बारे में आपत्तियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

---

2 2003(4) आर. सी. आर. (सिविल) 704

:- (i) एक आपत्ति कि जिस दस्तावेज़ को साबित करने की मांग की गई है, वह स्वयं साक्ष्य में अस्वीकार्य है; और (ii) जहां आपत्ति साक्ष्य में दस्तावेज़ की स्वीकार्यता पर विवाद नहीं करती है, लेकिन सबूत के तरीके की ओर निर्देशित की जाती है, जिसमें उसे अनियमित या अपर्याप्त होने का आरोप लगाया जाता है।पहले मामले में, केवल इसलिए कि किसी दस्तावेज़ को 'एक एगजिबिट' के रूप में चिह्नित किया गया है, इसकी स्वीकार्यता के बारे में आपत्ति को बाहर नहीं किया गया है और बाद के चरण में या अपील या संशोधन में भी उठाए जाने के लिए उपलब्ध है।बाद के मामले में, साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले आपत्ति ली जानी चाहिए और एक बार दस्तावेज़ को साक्ष्य में स्वीकार करने और एक एगजिबिट के रूप में चिह्नित करने के बाद, यह आपत्ति कि इसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था या दस्तावेज़ को साबित करने के लिए अपनाया गया तरीका अनियमित है, दस्तावेज़ को एक एगजिबिट के रूप में चिह्नित करने के बाद किसी भी स्तर पर उठाए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।बाद का प्रस्ताव निष्पक्ष खेल का नियम है।महत्वपूर्ण परीक्षण यह है कि क्या एक आपत्ति, यदि उचित समय पर ली जाती है, तो पक्ष को दोष को ठीक करने के लिए सबूत देने और सबूत के ऐसे तरीके का सहारा लेने में सक्षम बनाता है जो नियमित होगा।आपत्ति करने में चूक घातक हो जाती है क्योंकि उसकी विफलता से आपत्ति करने का हकदार पक्ष साक्ष्य देने वाले पक्ष को इस धारणा पर कार्य करने की अनुमति देता है कि विरोधी पक्ष सबूत के तरीके के बारे में गंभीर नहीं है।दूसरी ओर, एक त्वरित आपत्ति दो कारणों से साक्ष्य देने वाले पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हैः सबसे पहले, यह न्यायालय को अपने दिमाग को लागू करने और स्वीकार्यता के प्रश्न पर अपना निर्णय देने में सक्षम बनाता है और दूसरा, साक्ष्य देने वाले पक्ष के खिलाफ जाने वाले सबूत के तरीके पर न्यायालय के निष्कर्ष की स्थिति में, सबूत के नियमित तरीके या तरीके की अनुमति देने के लिए न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अवसर और इस तरह विरोधी पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्ति को हटाने का अवसर, साक्ष्य का नेतृत्व करने वाले पक्ष के लिए उपलब्ध है।इस तरह की प्रथा और प्रक्रिया दोनों पक्षों के लिए उचित है।ऊपर उल्लिखित दो प्रकार की आपत्तियों में से, बाद के मामले में, शीघ्र और समय पर आपत्ति उठाने में विफलता एक दस्तावेज के औपचारिक प्रमाण पर जोर देने की आवश्यकता को माफ करने के बराबर है, वह दस्तावेज जिसे साक्ष्य में स्वीकार्य साबित करने की मांग की जाती है।पहले मामले में, सहमति उच्च न्यायालय में आपत्ति उठाने के लिए कोई बाधा नहीं होगी।"

(निर्मलजीत कौर, जे.)

(8) उक्त निर्णय आपत्ति उठाने के चरण को संदर्भित करता है, लेकिन इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए कि क्या दस्तावेज़ की स्वीकार्यता के संबंध में आपत्ति को भी समर्थन से पहले तय करने की आवश्यकता है या बाद के चरण में भी तय किया जा सकता है, आदेश 13 नियम 3 सी. पी. सी. का उल्लेख करना उचित होगा, जिसे नीचे दिया गया हैः-

"अप्रासंगिक या अस्वीकार्य दस्तावेज़ को अस्वीकार करनाः-

न्यायालय वाद के किसी भी स्तर पर किसी भी दस्तावेज को अस्वीकार कर सकता है जिसे वह अप्रासंगिक या अन्यथा अस्वीकार्य मानता है, इस तरह की अस्वीकृति के आधार को दर्ज करता है।"

(9) इस प्रकार, आर. वी. ई. वेंटकचला गौंडर (ऊपर) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोमन कैथोलिक मिशन बनाम मद्रास राज्य और अन्य [3] मामले में अंतर करते हुए स्पष्ट किया कि दस्तावेज़ की स्वीकार्यता पर आपत्तियों को दो स्थितियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।यदि दस्तावेज़ अस्वीकार्य था, तो उक्त आपत्ति को बाद के चरण में अपील या संशोधन में भी उठाया जा सकता था, लेकिन यदि आपत्ति दस्तावेज़ को साबित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के कारण थी, तो उस मामले में आपत्ति को बाद के चरण में नहीं उठाया जा सकता था।इसके अलावा, आदेश 13 नियम 3 सी. पी. सी. के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि न्यायालय को भी किसी भी स्तर पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता है।

(10) वेंताकचला गौंडर (ऊपर) और बिपिन शांतिलाल पंचाल (ऊपर), इस न्यायालय को यह पता लगाना है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति दस्तावेज़ की स्वीकार्यता के संबंध में थी या सबूत की प्रक्रिया और तरीके के कारण थी जिसके लिए हमें आवेदन और संशोधन के वर्तमान आधारों को संदर्भित करने की आवश्यकता है।आवेदन के अवलोकन के साथ-साथ अभिलेख पर रखे गए संशोधन के आधार से पता चलता है कि आपत्ति 'दस्तावेज़ की ग्राह्यता के कारण' थी क्योंकि इसे न तो बृज भूषण जैन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था और न ही निष्पादित किया गया था, जिन्होंने खुद को पीडब्लू-1 के रूप में जांच करते हुए इसे प्रस्तुत करने की मांग की थी।यदि ऐसा है, तो यह स्पष्ट है कि आपत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट दो श्रेणियों में से श्रेणी (i) में आती है, जो किसी भी समय आपत्ति उठाने की अनुमति देती है और साथ ही आदेश 13 नियम 3 सी. पी. सी. न्यायालय को किसी भी समय उक्त आपत्ति पर निर्णय लेने की समान स्वतंत्रता प्रदान करता है।

(11) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय के आदेश में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है जिसमें कहा गया है कि उक्त आपत्ति का निर्णय अंतिम दलीलों का चरण मे किया जायेगा ,

[3] AIR 1966 एससी 1457

और न ही इस न्यायालय के समक्ष यह निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ भी है कि दस्तावेज़ की अस्वीकार्यता की ऐसी आपत्ति का निर्णय लेना अनिवार्य था और फिर, हालांकि, कुछ मामलों में आपत्ति का तुरंत निर्णय लेना अच्छा और बेहतर हो सकता है, विशेष रूप से यदि यह मामले की जड़ तक जाता है।साथ ही, अंतिम बहस के समय आपत्ति पर निर्णय लेने के लिए निचली अदालत के निर्णय को गलत या गलत नहीं माना जा सकता है।

(12) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भी गिरधारी लाल बनाम रितेश महाजन और अन्य [4], जसजीत सिंह और एक अन्य बनाम प्रेम हरजीत सिंह और अन्य [5] और रमेश चंद्र और अन्य बनाम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और अन्य [6] के मामलों में दिए गए फैसलों पर भरोसा किया है।सभी निर्णय उच्च न्यायालय की विभिन्न एकल पीठ द्वारा पारित हैं।उनमें से किसी ने भी आदेश 13 नियम 3 सी. पी. सी. पर ध्यान नहीं दिया है।

(13) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बिपिन शांतिलाल पांचाल (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय को आर. वी. ई. वेंतकचला गौंडर (उपर्युक्त) के मामले में दिए गए निर्णय के विपरीत नहीं कहा जा सकता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक आपराधिक मामले में किया गया था, लेकिन तर्क और टिप्पणियां दोनों मामलों में लागू होती हैं जो बिपिन शांतिलाल पांचाल (ऊपर)के मामले मे फैसले के पैरा 14 और 15 से स्पष्ट है।

> "14. जब ऐसा किया जाता है, तो अभ्यास जो एक बेहतर विकल्प हो सकता है वह यह है:जब भी किसी भी सामग्री या मौखिक साक्ष्य की वस्तु की ग्राह्यता के संबंध में साक्ष्य लेने के दौरान कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो निचली अदालत ऐसी आपत्ति का एक नोट बना सकती है और अंतिम निर्णय में अंतिम चरण में तय की जाने वाली ऐसी आपत्तियों के अधीन आपत्ति वाले दस्तावेज़ को मामले में एक ए गजिबिट के रूप में अस्थायी रूप से चिह्नित कर सकती है (या मौखिक साक्ष्य के आपत्ति वाले हिस्से को दर्ज कर सकती है)।यदि न्यायालय अंतिम चरण में पाता है कि इस प्रकार उठाई गई आपत्ति टिकाऊ है तो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसे साक्ष्य को विचार से बाहर रख सकते हैं।हमारे विचार में इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाने में कोई अवैधता नहीं है।(हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि आपत्ति किसी दस्तावेज़ के स्टाम्प शुल्क की कमी से संबंधित है, तो अदालत को आगे बढ़ने से पहले आपत्ति का फैसला करना होगा।अन्य सभी आपत्तियों के लिए प्रक्रिया ऊपर सुझाए गए सुझाव का पालन किया जा सकता है)

---

[4] 2005(2) आर. सी. आर. (किराया) 426

[5] 2013(1) आर. सी. आर. (सिविल) 514

[6] 2010 AIR (राज) 59

(निर्मलजीत कौर, जे.)

।

15. यदि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो इसके दो लाभ होंगे।पहला यह है कि निचली अदालत में साक्ष्य लेने के दौरान इस तरह की आपत्तियां उठाने के कारण समय बर्बाद नहीं होगा और अदालत गवाहों से पूछताछ जारी रख सकती है।गवाहों को दिन नहीं तो लंबे समय तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।दूसरा यह है कि जब निचली अदालत के अंतिम फैसले के खिलाफ अपील या संशोधन में उसी आपत्ति पर फिर से विचार किया जाता है और पुनर्विचार किया जाता है, तो उच्च न्यायालय उस आपत्ति के संबंध में निचली अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता का निर्धारण कर सकता है, मामले को नए सिरे से निपटाने के लिए निचली अदालत को फिर से भेजने की जहमत उठाए बिना।हम यह भी बता सकते हैं कि यह उपाय मुकदमे के पक्षों के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करेगा और उनके दुख या खर्च में वृद्धि नहीं करेगा।"

(14) तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि आपत्ति का निर्णय सामान्य रूप से वहां और फिर किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करने में विफलता और अंतिम चरण में निर्णय लेने के निर्णय को केवल उपरोक्त निर्णयों द्वारा और आदेश 13 नियम 3 सी. पी. सी. द्वारा रखी गई अपनी स्वीकार्यता के संबंध में होने के कारण दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

(15) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनाया गया है।

(16) तदनुसार खारिज किया गया।

सुरेन्द्र सिंह

स्पष्टीकरणः— स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए लिए निर्णय का अग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानवयन के उद्देष्य के लिए उपयुक्त होगा।